तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/10140/2004/बून्दी रामलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री वी.पी.सिंह राजावत, राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 13.03.2019

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पक्ष में भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम कोरमा स्थित आराजी खसरा नम्बर 757 रकबा 10बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 15–06–1999 को किया गया। इस आवंटन के निरस्त कराने हेतु तहसीलदार, नैनवा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–10–2002 से स्वीकार कर आवंटन आदेश को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 05–01–2004 से खारिज कर दी। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/10140/2004/बून्दी रामलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा व सम्पूर्ण कमेटी के कोरम में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट लिये जाने के उपरान्त विवादित आराजी का आवंटन किया गया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की खातेदारी में किसी प्रकार की अन्य कोई भूमि दर्ज नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को बहाल रखा जावे।

योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने एक ही दिन में आवंटन कमेटी के समक्ष ग्राम चैनपुरिया व ग्राम कोरमा स्थित आराजी के आवंटन हेतु दो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण थे। उनका कथन है कि अपीलार्थी ग्राम कोरमा का निवासी नही ंहोकर चैनपुरिया का निवासी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/10140/2004/बून्दी रामलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आवंटन कमेटी के समक्ष एक ही दिन ग्राम चैनपुरिया की 02बीघा भूमि के आवंटन हेतु तथा ग्राम कोरमा की 10बीघा भूमि के आवंटन हेतु दो पृथक–पृथक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये। आवंटन कमेटी द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना दोनों प्रार्थनापत्रों के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम चैनपुरिया की 02बीघा भूमि एवं ग्राम कोरमा 10बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने तथ्यों को छुपाते हुए एक ही दिवस को अलग अलग ग्राम में स्थित आराजी के आवंटन हेतु दो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण थे। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी ग्राम कोरमा का स्थाई निवासी नहीं होकर ग्राम चैनपुरिया का निवासी है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम कोरमा की आराजी के आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/10140/2004/बून्दी रामलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	